न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/4 **दायरा दिनांक : 10.01.2024**

उनवान

गोपाल शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री किशनलाल उर्फ किशनचन्द, जाति ब्राहमण, निवासी रेतवाली बरनापाडा (मथुराधीश का नोहर) कैथूनीपोल, कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0

.... अपीलांट

बनाम

1. हीरालाल पुत्र श्री नवल, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 23, बिड का कुआ थाने के सामने जमनालाल जी की पट्टियों की स्टाक के पास अन्ता
2. बाबू लाल पुत्र श्री नवल, जाति माली, निवासी वार्ड नं. 23, बिड का कुआ थाने के सामने जमनालाल जी की पट्टियों की स्टाक के पास अन्ता
3. लीलावती पुत्री श्री किशन उर्फ किशन चन्द पत्नी रामस्वरूप, जाति ब्राहमण, निवासी पुराने गढ के पीछे उनियारा, तहसील उनियारा, जिला टोक राज.
4. राजेश बाई पुत्री श्री किशनलाल उर्फ किशन चन्द पत्नी महावीर शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी रहमानपुरा, तहसील उनियारा, जिला टोक राज.
5. बृजेश बाई पुत्री किशनलाल उर्फ किशन चन्द पत्नी शुभराज सिंह राठौर, जाति ब्राहमण, निवासी मोहनलाल सुखाडिया आवास योजना, नान्ता, फ्लेट नं. एफ. 194, कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज.
6. राहुल पुत्र स्वर्गीय रमेश चन्द्र, जाति ब्राहमण
7. धीरज पुत्र स्वगीय रमेश चन्द्र, जाति ब्राहमण
   निवासीगण मोहनलाल सुखाडिया आवास योजना, नान्ता, फ्लेट नं. एफ. 194, कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज.
8. लक्ष्मी शर्मा पुत्री स्वर्गीय रमेश चन्द्र पत्नी सुरेश शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी नाहरखेडा, तहसील सुसनेर, जिला आगर मध्य प्रदेश
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां राज.

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ओ. पी. मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री राघवेन्द्र पाल अभिभाषक रेस्पोडेंट क्रम 1 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 16.01.2026**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज के प्रकरण संख्या – 207/2019 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम अन्ता द्वितीय तहसील अन्ता में खाता संख्या 244 में खसरा नं. 1429 रकबा 0.85 हेक्टर जमाबंदी संवत 2057–2060 में पारवतीबाई के नाम राजस्व रेकार्ड में खाते दर्ज थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2021 से वादी का वाद डिक्री किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के अन्तर्गत यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर, मांगरोल, केम्प अन्ता में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 ग्राम अन्ता की आराजी खाता संख्या 244 में खसरा नं. 1429 रकबा 0.85 हेक्टर जमाबंदी संवत 2057–2060 के आधार पर वाद प्रस्तुत किया गया जिसमें वक्त दावा खातेदार मृतक पारवती देवी पत्नी स्वर्गीय किशनलाल उर्फ किशन चन्द, जाति ब्राहमण, निवासी रेतवाली, कोटा को पक्षकार बनाये बिना रेस्पोडेंट क्रम 1 हीरालाल द्वारा अपने सगे भाई बाबूलाल को प्रतिवादी बनाकर वाद प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय द्वारा दिनांक 24.10.2008 को खारिज फरमाया गया जिसकी अपील रेस्पोडेंट क्रम 1 हीरालाल द्वारा न्यायालय हाजा में अपील संख्या 200/2009 बउनवान हीरालाल बनाम बाबूलाल प्रस्तुत की गई जिसमें महावीर शर्मा नाम के व्यक्ति को अतिरिक्त पक्षकार बनाकर पेश की गई जो न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2010 को खारिज फरमायी गई जिसकी द्वितीय अपील रेस्पोडेंट क्रम 1 हीरालाल द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में अपील संख्या अपीडी/टी.ए./1985/2010/बारां उनवान हीरालाल बनाम बाबूलाल पेश की गई जो दिनांक 28.08.2019 को निर्णित करते हुए आदेश 6 नियम 17 के आधार पर मूल वाद में चाही गई एडवर्स पजेशन की सहायता को समाप्त किया जाकर वसीयत दिनांक 22.08.1972 एवं मूल वाद रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 10.10.2017 के अनुसार मूल वाद में संशोधन किया जावे तदोपरान्त मुसम्मत पारवतीबाई के विधिक वारिसान को (यदि कोई हो) रिकार्ड पर लिया जाकर और उन्हें विधिवत सुनवाई व साक्ष्य आदि का यथोचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुकुल निर्णय पारित करें इसके बाद रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा संशोधित वाद पत्र में मृतक पारवतीबाई के विधिक वारिसान को कोई पक्षकार नहीं बनाया गया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता से रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा जिला कलेक्टर, बारां को अन्य न्यायालय में पत्रावली स्थानान्तरित कराने के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज स्थानान्तरित कराकर तथ्यों को छुपाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य का कोई भली भांति अवलोकन नहीं किया गया न विधि के प्रतिपादित सिद्धांतों का अनुसरण किया गया और मनमाना और विधि विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2021 पारित किया गया जो खिलाफ कानून होने से काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 आर.टी.एक्ट में बिना खातेदार को पक्षकार बनाये बैसाख शुदी अमावस्या पर प्रतिवादी क्रम 1 से जर्ये इकरारनामा खरीद की थी तथा प्रतिवादी क्रम 1 बाबलाल ने वादी को मौके पर जाकर साबिक खसरा नं. 1182 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा का कब्जा संभलाया इस आधार पर एडवर्स पजेशन मानते हुए वादपत्र प्रस्तुत किया गया उसी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

इकरारनामे को वादी/रेस्पोडेंट क्रम 1 हीरालाल द्वारा दिनांक 10.10.2017 को उप पंजीयक कोटा के यहां मृतक पारवती देवी की वसीयत बताकर रजिस्टर्ड करवाया गया जो किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है इसको ही वसीयत बताकर रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा उसी के आधार पर माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड किया गया उसके बावजूद संशोधित वाद पत्र में रेस्पोडेंट क्रम 1 द्वारा मृतक पारवती बाई के विधिक वारिसान अपीलांट व रेस्पोडेंट क्रम 3 लगायत 8 को बिना पक्षकार बनाये संशोधित वाद पत्र पेश किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2021 खिलाफ कानून होने से काबिले निरस्तनीय है। अपीलांट व रेस्पोडेंट क्रम 3 लगायत 8 को अधीनस्थ न्यायालय में मृतक पारवती देवी के विधिक वारिसान होने के बावजूद पक्षकार नहीं बनाया गया मृतक पारवती देवी के पुत्र रमेश चन्द्र का व उसकी पत्नी का देहान्त होने के बाद उसके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर धारा 96 सी.पी.सी. के आधार पर उक्त अपील पेश की जा रही है। धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पृथक से प्रस्तुत है जिसके आधार पर अपील विधिवत सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2021 निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 17.12.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट अभिभाषक को बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी अभिभाषक रेस्पोडेंट दौराने बहस अनुपस्थित रहने से योग्य अभिभाषक अपीलांट की एक तरफा बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि रेस्पो० क्रम 1 हीरा लाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपजिला कलेक्टर, मांगरोल केम्प अन्ता मे एक वाद अन्तर्गत द्वारा 88, 89, 90, 188 राज०टी०एक्ट ग्राम अन्ता की आराजी खाता संख्या 244 के खसरा नं0 1429 रकबा 0.85 हेक्टर जमाबन्दी सं0 2057 से 2060 के आधार पर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसने वक्त दावा खातेदार मृतक पारवती देवी पत्नी श्री स्व० किशनलाल उर्फ किशनचन्द, जाति ब्राहमण, निवासी रेतवाली, कोटा को पक्षकार बनाये बिना रेस्पों० 1 हीरा लाल द्वारा अपने सगे भाई बाबू लाल को प्रतिवादी बनाकर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जो न्यायालय द्वारा दिनांक 24.10.2008 को खारिज फरमाया गया। जिसकी अपील रेस्पो० क्रम 1 हीरालाल द्वारा न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील संख्या 200/2009 बउनवान हीरालाल – बनाम बाबू लाल प्रस्तुत की गई। जिसमे महावीर शर्मा नाम के व्यक्ति को अतिरिक्त पक्षकार बनाकर पेश की। जो दिनांक 01.02.2010 को खारिज फरमायी गयी। जिसकी द्वितीय अपील रेस्पो० क्रम 1 हीरा लाल द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में अपील संख्या 1985/2010/बारां बउनवान हीरा लाल बनाम बाबू लाल पेश की गई है जो दिनांक 28.08.2019 को निर्णीत करते हुये आदेश 6 नियम 17 के आधार पर मूल वाद में चाही गयी एडवर्स पजेशन की सहायता को समाप्त किया जाकर वसीयत दिनांक 22.08.1972 एवं मूल रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 10.10.2017 के अनुसार मूल वाद में संशोधन किया जाये। तदउपरान्त मुस० पारवती बाई के विधि वारिसान को (यदि कोई है) रिकार्ड पर लिया जाकर और उन्हें विधिवत सुनवाई व साक्ष्य आदि का यथोचित अवसर प्रदान करते हुये नियमानुकूल निर्णय पारित करे। इसके बाद रेस्पो० क्रम 1 हीरा लाल द्वारा संशोधित वाद पत्र मे मृतक पारवती बाई के विधि वारिसान को कोई पक्षकार नहीं बनाया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकार, अन्ता रेस्पो० क्रम 1 हीरालाल द्वारा जिला कलेक्टर, बारां को अन्य न्यायालय में पत्रावली स्थानान्तरित करवाने के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज को स्थानान्तरित करवाकर तथ्यो को छिपाकर न्यायालय द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साध्य का कोई भली भांति अवलोकन नही किया गया। और ना ही विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तो का अनुसरण किया गया। और मनमाना व विधि विरुद्ध निर्णय डिक्री दिनांक 15.02.2021 पारित किया गया है। जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो० क्रम 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 188 राज०टी०एक्ट में बिना खातेदार को पक्षकार बनाये बैसाख सुदी अमावस्या पर प्रतिवादी क्रम 1 से जरिये इकरारनामा खरीद की थी तथा प्रतिवादी क्रम 1 बाबू लाल ने वादी को मौके पर जाकर साबिक खसरा नं0 1182 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा का कब्जा सम्भलाया। इस आधार पर एडवर्स पजेशन मानते हुये वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। उसी इकरारनामे को वादी/रेस्पो० क्रम 1 हीरा लाल द्वारा 10.10.2027 को उपपंजीयक कोटा के यहाँ मृतक पार्वतीदेवी की वसीयत बताकर रजिस्टर्ड करवाया गया जो किसी भी प्रकार से विधि सम्मत नहीं है इसको ही वसीयत बताकर रेस्पो० क्रम 1 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया गया तथा उसी के आधार पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड किया गया। इसके बावजूद संशोधित वाद पत्र मे रेस्पो० क्रम 1 द्वारा मृतक पारवती बाई के विधिक वारिसान अपीलान्ट व रेस्पो० क्रम 3 लगायत 8 को बिना पक्षकार बनाये संशोधित वाद पत्र पेश किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2021 खिलाफ कानून होने से काबिले निरस्तनीय है। अपीलान्ट व रेस्पो० क्रम 3 लगायत 8 को अधीनस्थ न्यायालय मे मृतक पारवती देवी के विधिक वारिसान होने के बावजूद पक्षकार नहीं बनाया गया। मृतक पारवती देवी के पुत्र रमेशचन्द का व उसकी पत्नी का देहान्त होने के बाद उसके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर धारा 96 सी.पी.सी. के आधार पर उक्त अपील पेश की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज का निर्णय व डिक्री दिनांक 15.02.2021 मिसल नं0 207/2019

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

बउनवान हीरा लाल – बनाम – बाबू लाल निरस्त फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलान्ट को विधिवत जवाबदेही व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये उन्हें विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत एकतरफा लिखित बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादी बाबूलाल पुत्र नवल एक दावा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम अंता द्वितीय तहसील अंता में खाता संख्या 244 में खसरा नं. 1429 रकबा 0.85 हेक्टर जमाबंदी संवत 2057–2060 के अनुसार प्रतिवादी कम 1 खाते राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त विवादग्रस्त आराजी के साबिक खसरा नं. 1182 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा भूमि मृतक पारवतीबाई के खाते दर्ज थी, जिसके हाल खसरा नं. 1429 रकबा 0.85 हेक्टर है, जिसके हाल मुकाबले 0.14 हेक्टर भूमि कम दर्ज है। वादी ने प्रतिवादी कम 1 से जर्ये इकरार नामा विवादग्रस्त आराजी क्रय की थी तथा प्रतिवादी क्रम 1 ने वादी को मौके पर भूमि पर कब्जा संभला दिया था। वादी उक्त विवादित आराजी पर खरीद के समय से 40 वर्षों से काबिज काश्त करता चला आ रहा है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री फरमायी जावे कि वादग्रस्त आराजी पर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे। तथा विवादित भूमि पर वादी का एडवर्स पजेशन के आधार पर तहरीर के आधार पर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। वादी के कब्जे काश्त की भूमि पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार की कोई दखलांदाजी व काश्त करने में बाधा उत्पन्न नहीं करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण जारी फरमायी जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 24.10.2008 से निर्णय पारित करते हुए अपने निर्णय में अंकित किया कि ग्राम अंता की खाता संख्या नया 91 पुराना 92 की विवादग्रस्त आराजी खसरा नं. 1429 रकबा 0.85 हेक्टर पार्वती बेवा किशनचन्द्र कौम ब्राहम्ण साबिन बारां के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी ने अपने वाद पत्र में उक्त वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज होना अंकित किया है जबकि प्रतिवादी कम 1 बाबूलाल पुत्र नवल जाति माली निवासी अंता है। वादी अपना वाद सिद्ध करने में सफल नहीं हुआ है एवं वादी ने खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया है इसलिए वाद चलने योग्य नहीं होने के कारण वाद वादी खारिज किया जाता है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.10.2008 से अप्रसन्न होकर वादी हीरालाल द्वारा न्यायालय हाजा में प्रकरण संख्या 200/2009 से दिनांक 30.03.2009 को अपील दायर की गयी। न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.2010 से अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की गयी। न्यायालय हाजा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.02.2010 से अप्रसन्न होकर वादी हीरालाल द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर में प्रकरण संख्या अपीडी/टी.ए./1985/2010/बारां से द्वितीय अपील पेश की।

माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 28.08.2019 से यह प्रकरण आंशिक रूप से स्वीकार कर न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.02.2010 एवं परीक्षण अधिकारी सहायक कलक्टर, अंता द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.10.2008 को निरस्त किया गया तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अंता को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र आदेश 6, नियम 17, सी.पी.सी. के आधार पर मूल वाद में चाही गयी "एडवर्स पजेशन की सहायता को समाप्त किया जाकर वसीयत निष्पादन दिनांक 22.08.1972 वं मूल रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 10.10.2017 अनुसार खातेदार दर्ज किये जाने की प्रार्थना को मूल वाद में संशोधित किया जाये" **तदोपरांत मु0 पार्वतीबाई के विधिक वारिसान को (यदि कोई है) रिकार्ड पर लिया जाकर और उन्हें विधिवत सुनवाई व साक्ष्य आदि का यथोचित अवसर प्रदान करते हुए, नियमानुकूल निर्णय पारित किये जाने के आदेश दिये गये।**

माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर द्वारा पारित उक्त निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। दौराने सुनवाई न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां के पत्र दिनांक 11.02.2020 से पत्रावली स्थानान्तरित कर सुनवाई हेतु उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज बारां को भिजवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए अपने निर्णय दिनांक 15.02.2021 से वादी रेस्पोडेंट क्रम 1 का वाद स्वीकार कर वाके ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता में खाता सं. 244 में खसरा नं. 1429 रकबा 0.85 हेक्टर से मृतक पार्वती बाई का नाम हटाया जाकर वादी हीरालाल आत्मज नवल, जाति माली, निवासी अन्ता को खातेदार घोषित किया है। दौराने सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक पार्वती बाई के विधिक वारिसान की जांच कर रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु दिनांक 31.10.2019 को प्रेषित पत्र के क्रम में तहसीलदार (भू अभिलेख) अन्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 18.11.2019 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर मृतक पार्वतीबाई का लाऔलाद फौत होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट को अस्पष्ट मानते हुए पुनः रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु तहसीलदार अन्ता को दिनांक 22.11.2019 को पत्र प्रेषित किया गया। तहसीलदार (भू–अभिलेख) अन्ता ने उक्त पत्र की पालना में पुनः अपने पत्र दिनांक 04.12.2019 से रिपोर्ट प्रस्तुत कर मृतका पारवती बाई के कोई विधिक वारिसान नहीं होना अवगत कराया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न प्रमाणित नकल जमाबंदी संवत 2051 से 2054 ग्राम अन्ता, तहसील अन्ता खसरा नं. 1429 रकबा 0.85 हेक्टर प्रदर्श–4 दिनांक

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

02.12.2020 (प्रदर्श–7 दिनांक 12.09.2008), प्रमाणित नकल खाता मौजा अन्ता निजामात अन्ता संवत 2009 से 2010, प्रमाणित नकल जमाबंदी संवत 2031 से 2034 प्रदर्श–13 के अनुसार खातेदार पारवती बेवा किशनचन्द, जाति ब्राहमण, सा. कोटा मोहल्ला चार हाटडिया का निवासी होना अंकित है। उक्त सभी दस्तावेज स्वयं रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा पेश किये गये हैं, जिसमें मृतक पारवती का पता बास कोटा मोहल्ला चार हाटडिया होना अंकित है। इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक पार्वती के वारिसान की जांच केवल तहसील अन्ता से करवाई है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्वप्रमाणित फोटोप्रति वारिस प्रमाण पत्र, पार्षद वार्ड सं. 44 नगर निगम कोटा के अनुसार पार्वती देवी पत्नी स्व. श्री किशनलाल उर्फ किशनचन्द, जाति ब्राहमण, निवासी रेतवाली, कोटा की मृत्यु दिनांक 19.06.2010 को होना अंकित है तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट कम 3 लगायत 8 को मृतक पार्वती का वारिस होना अंकित किया है। इसके विपरीत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न वादी रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा स्वप्रमाणित फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार पारवती बाई की मृत्यु दिनांक 08.05.1974 होना अंकित है और रजिस्ट्रीकरण दिनांक 20.01.2009 अंकित है। इसी प्रकार वादी रेस्पोडेंट कम 1 हीरालाल पुत्र श्री नवल की जाति माली है एवं विवादित आराजी की खातेदार पारवती बाई बेवा किशनचन्द जाति से ब्राहमण थी। वादी हीरालाल ने सर्वप्रथम इकरारनामा प्रदर्श पी–1 एवं प्रतिकूल कब्जे के आधार पर दावा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय में दावा खारिज होने पर इस न्यायालय हाजा में अपील पेश की। प्रथम अपील खारिज होने पर माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में द्वितीय अपील पेश की। दौराने द्वितीय अपील वादी अपीलांट हीरालाल ने पार्वती बाई बेवा किशनचन्द द्वारा दिनांक 22.08.1972 को पचास पैसे के स्टाम्प पर हीरालाल के पक्ष में निष्पादित अनरजिस्टर्ड इकरारनामा निष्ठा पत्र तथा गवाहान की सूची जो दिनांक 10.10.2017 को उपपंजीयक कोटा के यहां पंजीबद्ध की गई है के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु मूल वादपत्र एवं अपील में चाही गई एडवर्स पजेशन की सहायता को समाप्त कर मूलवाद एवं अपील में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र आर्डर 6 नियम 17 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया गया। माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.08.2019 से वादी अपीलांट को मूल वाद पत्र में संशोधन की अनुमति प्रदान करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि **मु0 पारवती बाई के विधिक वारिसान को (यदि कोई है) रिकार्ड पर लिया जाकर और उन्हें विधिवत सुनवाई व साक्ष्य आदि का यथोचित अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार निर्णय पारित करें**। इन दिशा निर्देशों की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल तहसीलदार अन्ता से ही मृतक पारवती बाई के वारिसान की जांच करवाई गई जबकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत विभिन्न जमाबंदियों में खातेदार पारवती बाई को सा. कोटा मोहल्ला चार हाटडिया का निवासी होना अंकित है।

स्वयं वादी रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 18.12.2024 को न्यायालय हाजा में जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा पुरानी 395 आई.पी.सी. एवं नयी 310 (2) बी.एन.एस. सहपठित धारा पुरानी 340 सी.आर.पी.सी. पेश किया गया उसके साथ तहसीलदार (भू.अ.) अन्ता के पत्रावली की कार्यालय टिप्पणी की फोटो प्रति पेश की गयी है, जो प्रथम

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

दृष्टया अपीलांट गोपाल शर्मा द्वारा ग्राम अंता की विवादित आराजी खसरा नं. 1429 रकबा 0.85 हेक्टर का नामान्तरण दर्ज करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार अंता द्वारा की गयी कार्यवाही की पत्रावली की आदेशिका प्रतीत होती है। इस पत्रावली की आदेशिका दिनांक 20.12.2017 के अनुसार पत्रावली पेश हुई। पटवारी रिपोर्ट प्राप्त हुई, तथा सम्पर्क का प्रकरण भी प्राप्त हुआ। इस प्रकरण में दो वसीयत है, जो दोनों वसीयतें भिन्न व्यक्तियों के नाम से की गयी है तथा दो मृत्यु प्रमाण पत्रों में विभिन्न मृत्यु की तारीख अंकित है एवं न्यायालयों में कई प्रकरण विचाराधीन बताये है। अतः वसीयत को सिविल न्यायालय से प्रोबेट (Probate) कराये जाने का निर्णय पारित किया है। साथ ही तहसीलदार (भू.अ.) अंता द्वारा दिनांक 18.11.2019 एवं 04.12.2019 को उपखण्ड अधिकारी अंता को प्रेषित वारिसान की जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां पेश की जो मूल खातेदार पार्वती के विधिक वारिसान के संदर्भ में अंता में की गयी है। इसी प्रार्थना पत्र के साथ वादी रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा वादी रेस्पोडेंट क्रम 1 हीरालाल द्वारा स्वयं प्रमाणित खाता मौजा अंता निजामत अंता की संवत 1985 से 88 एंव सवंत 2009 व 2010 की जमाबंदी की फोटोप्रतियां स्वयं प्रमाणित पेश की है, जिसमें खातेदार पारवती बेवा किशनचंद, जाति ब्राहम्ण, बास कोटा, मोहल्ला चार हाटडिया अंकित है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदार पारवती के विधिक वारिसान की जांच केवल तहसीलदार (भू.अ.) अंता से ही करवायी गयी है। अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 के साथ न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां, राजस्थान के परिवाद संख्या 33/2025 उनवान हीरालाल बनाम गोपाल की आदेशिका एवं परिवाद की प्रमाणित प्रतियां पेश की गयी है। रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत नकल आदेशिका दिनांक 11.12.2025 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां, राजस्थान के अनुसार भी प्रकरण में जांच के आदेश दिये गये है।

उक्त वर्णित समस्त विरोधाभासी तथ्यों को एवं माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28.08.2019 से दिये दिशा निर्देशों की पालना एवं खातेदार पारवती के विधिक वारिसान की जांच हेतु हम अपील के इस स्तर पर अपीलाधीन निर्णय को खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.02.2021 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को प्रस्तुत वाद में पक्षकार बनाते हुए, खातेदार पारवती बाई के विधिक वारिसान की पुनः जांच कर अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में नये सिरे से तनकीवार विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.03.2026 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/01/2026

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा